

हिन्दी प्रकोष्ठ / Hindi Cell

सं./No.MANUU/Hindi Cell/2026/1638

दिनांक / Date: 13th February, 2026

परिपत्र / CIRCULAR

This Circular is issued in reference to letter No.11011/4/2022- रा.भा.ए. dt.07.11.2023 received from Dept. of Higher Education, Ministry of Education, Govt. of India .

SECTION 3(3) OF OFFICIAL LANGUAGES ACT, 1963, both Hindi and English shall be used for all official work in the offices controlled by the Central Government.

Under section 3(3) of the Official Language Act, Resolutions, General Orders, Rules, Notifications, Administrative and Other Reports, Press Communiqués, Administrative and Other Reports and Official Papers to be laid before a House or Houses of Parliament, Contract, Agreements, Licenses, Permits, Tender Notices and Forms of Tender should invariably be, issued bilingually. For any violation, the officer signing such documents will be held responsible.

Accordingly, all the Deans/Heads of the Department / Section Heads / Incharge and all Hindi Pragya/Parangat passed candidates are here by requested to take note of the above provisions under Official Language Act, 1963 in regard to their official work.


In case of any assistance in Hindi, Hindi Cell may be contacted.

सेवा में / To:
All Deans/HoDs/ Principals/ Incharges of HQ/Off-Campuses
Proctor, DSW, Provost(Boys & Girls)

प्रति / Copy to:

1. O/o V.C / Registrar / F.O / COE / Librarian
2. All the Hindi Pragya/Parangat passed Candidates
3. Director, CIT for uploading on University Website
4. Concerned file

कुलसचिव
Registrar
13/2/26
कुलसचिव / Registrar
मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी
Maulana Azad National Urdu University
गच्छिबौली, हैदराबाद-५०० ०३२.
Gachibowli, Hyderabad-500 032.



शिक्षा का
अधिकार

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
शास्त्री भवन
नई दिल्ली - 110 115
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF EDUCATION
DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION
SHASTRI BHAVAN
NEW DELHI-110 115

सं.ई. 11011/4/2022-रा.भा.ए

दिनांक : 07.11.2023

कार्यालय जापन

विषय: शिक्षा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सभी संबंध/अधीनस्थ कार्यालयों/संस्थानों/आयोगों/विश्वविद्यालयों/बोर्डों आदि में राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन सुनिश्चित करना।

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों तथा उनके संबंध/अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों आदि के लिए यह सांविधिक अपेक्षा है कि वे राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के तहत उल्लिखित सभी 14 दस्तावेजों (सूची संलग्न) को द्विभाषी रूप में अर्थात् हिन्दी और अंग्रेजी में साथ-साथ जारी करें। परंतु यह देखने में आया है कि शिक्षा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन कई संबंध/अधीनस्थ कार्यालयों/संस्थानों/आयोगों/विश्वविद्यालयों/बोर्डों आदि में उक्त अधिनियम के उपबंधों का शत-प्रतिशत अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

2. अतएव सभी संबंधितों से अनुरोध है कि वे राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के तहत आने वाले सभी कागजात द्विभाषी रूप में एक साथ जारी करें और जारी कराते समय यह ध्यान रखा जाए कि हिंदी रूपान्तर, अंग्रेजी रूपान्तर के ऊपर/पहले रहे। इस संबंध में तत्काल संदर्भ के लिए राजभाषा विभाग द्वारा जारी कार्यालय जापन संख्या 12024/10/90-रा.भा.(ख-2), दिनांक 26 जून, 1990 की प्रति संलग्न है।


(जगदीश राम चौरा)
संयुक्त निदेशक (रा.भा.)

सेवा में

1. शिक्षा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सभी संबंध/अधीनस्थ कार्यालयों/संस्थानों/आयोगों/विश्वविद्यालयों/बोर्डों/संगठनों आदि के प्रमुख।

प्रतिलिपि

1. संयुक्त सचिव (राजभाषा और प्रशासन), उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय को सूचनाार्थ।
2. गार्ड फाइल।



धारा 3(3) के तहत आने वाले दस्तावेजों की सूची

क्र. सं.	विवरण	particulars
1.	सामान्य आदेश	General Orders
2.	संकल्प	Resolution
3.	परिपत्र	Circulars
4.	नियम	Rules
5.	प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदन	Administrative or other reports
6.	प्रेस विज्ञप्तियां	Press Release/Communiques
7.	संविदाएं	Contracts
8.	करार	Agreements
9.	अनुज्ञप्तियां	Licences
10.	निविदा प्रारूप	Tender Forms
11.	अनुज्ञा पत्र	Permits
12.	निविदा सूचनाएं	Tender Notices
13.	अधिसूचनाएं	Notifications
14.	संसद के समक्ष रखे जाने वाले प्रतिवेदन तथा कागज पत्र	Reports and documents to be laid before the Parliament

अभिप्रेत

कलह नं 12024/10/90-गन्धा (ख-2), दिनांक 26.6.1990

विषय:- राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन सुनिश्चित करना।

मान्य मंत्रालय के सभी संज्ञकृत विभागों तथा उनके सचिव और अधीनस्थ कार्यालयों सम्मिलित करके और के लिए यह निर्देशिका अर्पित है कि वे राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी होने वाले सभी कार्यालय दिशियों तथा वे पाना हिन्दी और अंग्रेजी में स्वयं-साध करी करें। परन्तु देखने में आया है कि इस अवस्था को और धारा 3(3) के अन्तर्गत जारी होने वाले सभी सुनिश्चित करके जारी कई कार्यालयों द्वारा संयम अवधि में ही जारी

किन्तु जो वे स्वयंसेवक परामर्श करार सचिवों दिशियों में भी जारी होने अवस्था है। कुछ मामलों में इस तरह के कार्यालय को हिन्दी सम्बन्धित दिशियों के से करने किया जाता है कि वह नियमित हो जाते हैं। इनमें से बाधना आदेशों और परिपत्री को भी अन्य संकेतों दिशियों जारी करने और अपने संयोजित किया जाना होता है और यदि उन्हें इसमें दिशियों सम्बन्धित, स्वयं-साध जारी दिशियों को उन्हें हिन्दी अनुवाद स्वयं कराना पड़ती है। ऐसी दिशियों में जहाँ तक और समय और प्रय का दुरुपयोग होता है, जहाँ दूरतों और अनुवाद को सम्बन्धितता और एकत्रितता को जारी रख जारी सम्बन्धित; इस तरह के सभी कार्यालय मूल सम्बन्धित दिशियों द्वारा हिन्दी और अंग्रेजी में एक साथ जारी कर जाने अवस्था है।

अतः सभी संज्ञकृत विभागों और वे अनुरोध है कि वे राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी वाले सभी कार्यालय दिशियों को वे एक साथ जारी करें और जारी कराने समय यह ध्यान रखा जाए कि हिन्दी सम्बन्धित दिशियों सम्बन्धित का उतर पड़ने रहे।

अधीन



सत्यमेव जयते

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

संघ का राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए
वार्षिक कार्यक्रम
2025-26

ANNUAL PROGRAMME
FOR TRANSACTING THE OFFICIAL WORK OF
THE UNION IN HINDI
2025-26

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

राजभाषा विभाग
DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

www.rajbhasha.gov.in

Annual Programme for 2025-26 for use of Hindi

<u>S.NO</u>	<u>DETAILS OF WORK</u>	<u>'A' REGION</u>	<u>'B' REGION</u>	<u>'C' REGION</u>
1.	Originating Correspondence in Hindi (Including E-mail)	1. From A to A 100% 2. From A to B 100% 3. From A to C 70% 4. From Region A 100% to Offices / Individuals In States / UTs of A & B region	1. From B to A 90% 2. From B to B 90% 3. From B to C 60% 4. From Region B 90% to Offices Individuals In States / UTs of A & B region	1. From C to A 60% 2. From C to B 60% 3. From C to C 60% 4. From Region C to 60% Offices / Individuals In States / UTs of A & B region
2.	Letters received in Hindi to be answered in Hindi	100%	100%	100%
3.	Noting in Hindi	80%	55%	35%
4.	Training Programme through Hindi Medium	75%	65%	35%
5.	Recruitment of employees utilized for Hindi Typing & Stenographers	80%	70%	45%
6.	Dictation in Hindi/ Direct Typing on Key-Board (self and by the Assistant)	70%	60%	35%
7.	Hindi Training (Language, Typing/ Stenography)	100%	100%	100%
8.	Preparation of Bilingual Training Material	100%	100%	100%

9. Expenditure for the purchase of Hindi books etc., including digital material i.e., Hindi e-books, hindi e-newspapers, CD/DVD, Pen Drive including amount incurred on Translation in Hindi from English and Regional Languages out of the total Library grant excluding journals and standard reference books.	50%	50%	50%
10. Purchase of all electronic equipment including computers having bilingual i.e. Hindi and English working facility.	100%	100%	100%
11. Website bilingual	100%	100%	100%
12. Citizen Charter and display of Public interface Information Board bilingual	100%	100%	100%
13. (I) Inspection by Ministries/ Departments/ Offices of their offices located outside their Headquarters by the officers (DS/Dir/JS) and officers of OL sections (% of Offices)	30% (minimum)	30% (minimum)	30% (minimum)
(II) Inspections of sections at Headquarters.	30% (minimum)	30% (minimum)	30% (minimum)
(III) Joint inspections by the officers Concerned & those of the Departments of Official Language of Foreign based Undertakings/ Offices etc. owned or controlled by the Central Government.	At least one inspection in a year.		
14. Meetings regarding Official Language			
(A) Hindi Salahakar Samiti	02 meetings in a year		
(B) Town Official Language Implementation Committee.	02 meetings in a year (One meeting in every six months)		
(C) Official Language Implementation Committee.	04 meetings in a year (One meeting in every quarter)		

15. Translation of Codes, Manuals, Forms, Procedural literature. 100% 100% 100%

16. Sections of the Ministries/ Departments/ Offices/ Banks/
Undertakings where entire work to be done in Hindi. 45% 35% 25%

(Minimum Sections)

45% in 'A' Region, 30% in 'B' Region and 20% in 'C' Region work
may be done in Hindi for those Public Sector Undertakings/
Corporations where there is no concept of sections.